न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 559/1993 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.1993 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 142/1988–89 अपील

राम अख्त्यार पुत्र फद्दीसिंह गुर्जर
ग्राम गुलेन्द्रा तहसील व जिला मुरैना ---आवेदक

विरूद्ध

फकीरसिंह पुत्र पोथीसिंह गुर्जर
ग्राम गुलेन्द्रा तहसील व जिला मुरैना ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक एस.के.अवस्थी)

(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 15–10–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 142/1988–89 अपील में पारित दिनांक 10.06.1993 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम गुलेन्द्रा में पटैल का पद रिक्त होने से पटैल पद पूर्ति हेतु आवेदक एंव अनावेदक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने दोनों आवेदनों की जांच नायव तहसीलदार मुरैना से कराई एंव प्रकरण क्रमांक 3/1988–89 अ–55 में पारित आदेश दि. 9–1–1989

से आवेदक को पटैल पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 21/1988-89 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-4-1989 से अनुविभागीय अधिकारी मुरैना का आदेश दिनांक 9-1-89 निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 142/1988-89 में पारित दि. 10.06.1993 से अपील अमान्य की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 3/1988-89 अ-55 में पारित आदेश दिनांक 9-1-1989 से आवेदक को पटैल पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है और इस आदेश को कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 21/1988-89 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-4-1989 से निरस्त करके प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया है तथा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 142/1988-89 अपील में पारित दिनांक 10.06.1993 से कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 20.4.1989 को पुष्टिकृत किया है । इस अवधि को व्यतीत हुये लगभग 26 वर्ष हो चुके

है जबकि प्रत्यावर्तन में अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष प्रकरण पहुंचने पर उभय पक्ष को अपना अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है ऐसी स्थिति में विचाराधीन निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर मुरैना के आदेश दि. 20-4-1989 एंव अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 142/1988-89 अपील में पारित दिनांक 10.06.1993 में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 142/1988-89 अपील में पारित दिनांक 10.06.1993 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर